प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ....436/22........ दिनांक........7/11/2022........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..धाराऐं 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी

   (2) अधिनियम..धाराऐं ....

   (3) अधिनियम..धाराऐं..

   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– रविवार दिनांक :– 06.11.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 02.11.2022 समय :– 03.45 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....124.......... समय..........5:15 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 02 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पूर्व दिशा
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख) पता:– खण्डिया कॉलोनी स्थित, कृष्णा मेडिकल स्टोर वाली गली के अन्दर, झालावाड़
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री भेरूलाल
   (ख) पिता/पति का नाम :– स्व0 श्री घासीलाल जाति मीणा
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 56 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– महुवा खेड़ा (देवरी कलां) थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी लेन नम्बर 06 सरस्वती विहार देहरादून (उतराखण्ड) हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ (राज0)
   2. श्री नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (मुखिया/प्राईवेट व्यक्ति)
   3. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (प्राईवेट व्यक्ति)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 60,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2022 समय 03.45 पी.एम. पर परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री घांसीलाल जाति मीणा उम्र 56 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा (देवरी कलां) थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री भेरूलाल ने बताया कि प्रार्थना

पत्र को टाईप करने वाला उसका विश्वसनीय व्यक्ति है जो इस सम्बंध में किसी से भी कोई जिक्र नही करेगा। परिवादी श्री भेरूलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके नाम से ग्राम महुवा खेड़ा के माल में खसरा नम्बर 301 व 302 में कृषि भूमि स्थित है। उसको इस भूमि में ही वर्ष 2016 में अफीम विभाग द्वारा अफीम की खेती करने के लिए 10 आरी का पट्टा(लाईसेंस) जारी हुआ था परन्तु औसत से कम अफीम निकलने पर वर्ष 2017 में अफीम विभाग द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया था। उसके गांव महुवा खेड़ा के श्री नारायण पुत्र श्री प्रभुलाल मीणा की सास श्रीमती कंचन बाई के नाम से भी अफीम की खेती करने का पट्टा है परन्तु उसकी जगह श्री नारायण मीणा ही उनके गांव के अफीम काश्तकारों के मुखिया का काम करता है। श्री नारायण मीणा का जिला अफीम कार्यालय, रूपनगर झालावाड़ में अधिकारियों से काश्तकारों को अफीम का पट्टा दिलवाने हेतु मिलने के लिए आना–जाता रहता है। इस साल अफीम की खेती करने के काश्तकारों की लिस्ट में मेरा भी नाम होने की जानकारी श्री नारायण मीणा मुखिया द्वारा मिलने पर मैं श्री नारायण मीणा मुखिया के कहने पर जिला अफीम अधिकारी कार्यालय, झालावाड़ जाकर वहां पर तैनात श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से मिला तो उन्होने अफीम का पट्टा दिलवाने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा उन्होने कहा था कि तुम तुम्हारे गांव के मुखिया श्री नारायण मीणा से मिल लेना, तुम्हारा अफीम की काश्त का पट्टा बनवा देगा। इस पर मैंने श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से अफीम की काश्त का पट्टा (लाईसेंस) बनवाने हेतु फार्म देने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि पहले मुखिया श्री नारायण मीणा से मिल लो वह सब व्यवस्था करवा देगा। इस पर मैं झालावाड़ से अपने गांव जाकर मुखिया श्री नारायण मीणा से उसके घर पर मिला तो श्री नारायण मीणा ने भी कहा कि पहले एक लाख रूपये की व्यवस्था कर लो उसके बाद श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिल लेगें तुम्हारा काम हो जायेगा फार्म की तुम चिन्ता मत करो। मैं तुम्हारा पट्टा बनवाने का सारा काम करवा दूंगा। श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ अपने दलाल श्री नारायण मीणा मुखिया ग्राम महुवा खेड़ा के मार्फत अफीम काश्तकारों के लिए पट्टा (लाईसेंस) दिलवाने के लिए रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने वाले अफीम अधिकारियों तक रिश्वत राशि पहुंचाते है। मैं मेरी कब्जा काश्त की भूमि में सरकार द्वारा अफीम की खेती करने के लिए पट्टा (लाईसेंस) जारी कराने के जायज काम के लिए श्री पंकज मिश्रा गिरदावर व श्री नारायण मीणा मुखिया को रिश्वत राशि के एक लाख रूपये नहीं देना चाहता हूँ तथा दोनों को ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7,7ए व 120बी आईपीसी की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री भेरूलाल को आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर व श्री नारायण मीणा के पास जिला अफीम कार्यालय रूपनगर झालावाड़ अथवा राधारमण मन्दिर परिसर झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 02.11.2022 समय 04:25 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री भेरूलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर के बारे में जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री भेरूलाल को अपनी मोटरसाईकिल पर पिछे बैठाकर राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 02.11.2022 समय 05:15 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री भेरूलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री देवदान सिंह दोनों श्री देवदान सिंह जी की मोटरसाईकिल पर बैठकर राधारमण मन्दिर परिसर झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प से कुछ दूरी पूर्व पहुंच गये थे तथा मैंने श्री देवदान सिंह को वहां पर ही मेरा वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही पैदल–पैदल राधारमण मन्दिर परिसर झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प पर पहुंचा तथा मैं आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर के पास गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करनी चाही तो उन्होने मुझे पिछे की तरफ चले जाने का ईशारा किया जिस पर मैं पिछे की तरफ जाकर खड़ा होते ही आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी तुरन्त मेरे पास आये तो मैंने उन्हे आता देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। मैंने उनसे कहा कि अफीम का पट्टा मिलने वाले काश्तकारों की लिस्ट में मेरा भी नाम आने की जानकारी श्री नारायण मीणा मुखिया ने मुझे दी है। इस पर गिरदावर जी ने मेरा व पिता का नाम पूछा तथा कहा कि लिस्ट में नाम आ गया है तो परसों चार तारीख को सुबह मुखिया जी को साथ में लेकर आ जाना। परेशान मत होना तुम अकेले क्यों आ रहे हो। मुखिया को बोलना वह कहते ही आ जायेगा। परिवादी श्री भेरूलाल ने बताया कि मैंने आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से रिश्वत मांग वार्तालाप के पश्चात् डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर श्री देवदान सिंह के पास आकर आरोपी श्री पंकज मिश्रा से हुई सारी बातें

बतायी थी। इस पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ने भी परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा बतायी गयी उक्त बातों की पुष्टि की। चूंकि आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर द्वारा श्री नारायण मीणा मुखिया को परसों अर्थात् चार तारीख को झालावाड़ साथ लेकर आने के लिए कहा है। अतः आयन्दा पुनः परिवादी श्री भेरूलाल को भिजवाकर आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर व अन्य आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की जावेगी। परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्तालाप के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री भेरूलाल को परसों अर्थात् दिनांक 04.11.2022 को प्रातः 10.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप हेतु पुनः उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर अपने गांव महुवा खेड़ा के लिए रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी श्री भेरूलाल व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 04.11.2022 समय 10:45 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया रूपनगर झालावाड़ में स्थित जिला अफीम कार्यालय पर ही उपस्थित है तथा आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर भी कार्यालय में ही बैठे है। मैंने आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया से उसके मोबाईल पर वार्तालाप की तो उसने बताया कि आज राधारमण मन्दिर परिसर झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा का केम्प नही होने से गिरदावर जी कार्यालय में ही उपस्थित है। चूंकि परिवादी श्री भेरूलाल को आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर व अन्य आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया से रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्तालाप करायी जानी है। अतः श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर चेक कर परिवादी श्री भेरूलाल को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान चालू बन्द करने की प्रक्रिया की पुनः समझाईश कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 425 की मोटर साईकिल पर पिछे बैठाकर रूपनगर झालावाड़ स्थित जिला अफीम कार्यालय के लिए रवाना किया गया। दिनांक 04.11.2022 समय 01:00 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री भेरूलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री देवदान सिंह दोनों श्री देवदान सिंह जी की मोटरसाईकिल पर बैठकर रूपनगर झालावाड़ स्थित जिला अफीम अधिकारी के कार्यालय से कुछ दूरी पूर्व पहुंचने पर मैंने श्री देवदान सिंह को वही पर ही मेरा वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही पैदल–पैदल रूपनगर झालावाड़ स्थित जिला अफीम अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचा तो मुझे कार्यालय के बाहर ही घूमता हुआ आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया को देखा तो मैंने आपके द्वारा सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया ने मुझसे कहा कि पहले मैं श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिलकर आता हूं तुम बाहर ही खड़े रहो। इस पर श्री नारायण मीणा मुखिया जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के अन्दर गया तथा कुछ समय पश्चात् मेरे पास आकर बताया कि श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी ने तुम्हारा अफीम काश्त का पट्टा बनवाने के लिए एक लाख रूपये मांगे है। परन्तु मैंने कहा कि साहब मेरा मिलने वाला है तो वह 75,000रूपये देने पर पट्टा बनवाने के लिए राजी हो गये है। इस पर मैंने कहा कि मुझको साहब से मिलवा दो मुझे पट्टा बनवाने का फार्म भी लेना है तथा 75,000रूपये से भी कम कराने है तो श्री नारायण मीणा मुखिया ने कहा कि मैं श्री पंकज मिश्रा साहब से दुबारा जाकर बात करता हूं। इस पर आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया पुनः जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के अन्दर गया तथा वापिस आकर मुझे अफीम काश्त का पट्टा (लाईसेंस) जारी कराने हेतु फार्म लाकर दिया तथा कहा कि श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी ने कहा है कि फार्म भरकर लेकर परसों रविवार अर्थात 06.11.2022 को सुबह आ जाना और श्री भेरूलाल को बता देना कि 60,000रूपये से एक रूपया भी कम नही होगा। पूरे 60,000रूपये लेकर रविवार को आ जाना। उसका पट्टा बनवा देगें। इसके बाद आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर कार्यालय से बाहर आया तथा उसे देखते ही मैं उसके पास जाने लगा तो उसने आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया की और ईशारा कर मिलने से मना कर दिया। परिवादी श्री भेरूलाल ने बताया कि मैंने आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया से रिश्वत मांग वार्तालाप के पश्चात् डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर श्री देवदान सिंह के पास आकर आरोपी नारायण मीणा मुखिया द्वारा रिश्वत राशि के 60,000रूपये की मांग करने व आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर द्वारा श्री नारायण मीणा मुखिया को दिये गये अफीम पट्टे के फार्म के सम्बंध में हुई सारी बातें बतायी थी। इस पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ने भी परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा बतायी गयी उक्त बातों की पुष्टि की। चूंकि आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर द्वारा सीधे रिश्वत राशि ग्रहण नही कर दलाल श्री नारायण मीणा मुखिया के मार्फत 60,000रूपये की रिश्वत राशि व अफीम पट्टा आवेदन फार्म भरकर साथ लेकर परसों रविवार अर्थात् छः तारीख को झालावाड़ आने के लिए कहा है। अतः परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्तालाप के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को सुरक्षित

मालखाना रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री भेरूलाल को परसों अर्थात् दिनांक 06.11.2022 को प्रातः 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 60,000रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर अपने गांव महुवा खेड़ा के लिए रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी श्री भेरूलाल व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी तथा परिवादी श्री भेरूलाल के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 05.11.2022 समय 03:30 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल ने दिनांक 06.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही होने के सम्बन्ध में अवगत् कराया है। अतः दिनांक 06.11.2022 को की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झालावाड़ के नाम पत्रांक 1214 दिनांक 05.11.2022 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को देकर दिनांक 06.11.2022 को प्रातः 08.15 बजे दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम, पदनाम व मोबाईल नम्बर अवगत कराने के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 05.11.2022 समय 04:30 पीएम पर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के श्री जुबेर खान पुत्र श्री अब्दुल कय्युम जाति मुसलमान उम्र 28 वर्ष निवासी मकान नम्बर 14 हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़ मो0नं0 8107757582 व श्री मोहम्मद आमील खान पुत्र श्री मोहम्मद अतीक जाति मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी अयूबी मस्जिद के पास, जेल रोड़ झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ मो0नं0 9468565298 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 621 दिनांक 05.11.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.11.2022 समय 08.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान पुत्र श्री अब्दुल कय्युम जाति मुसलमान उम्र 28 वर्ष निवासी मकान नम्बर 14 हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़ मो0नं0 8107757582 व श्री मोहम्मद आमील खान पुत्र श्री मोहम्मद अतीक जाति मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी अयूबी मस्जिद के पास, जेल रोड़ झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ मो0नं0 9468565298 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 06.11.2022 समय 08:15 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 60,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़ एवं श्री मोहम्मद आमील खान हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री भेरूलाल का दिनांक 02.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही मे सहयोग हेतु सहमति प्राप्त की गई। दिनांक 06.11.2022/08:30 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 02.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जिला अफीम कार्यालय, झालावाड़ के मध्य आपस में हुई सत्यापन वार्ता–प्रथम में आरोपी द्वारा मुखिया को साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 02.11.2022 को हुई वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री भेरूलाल को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ताओं को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री भेरूलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 06.11.2022 समय 09:00 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 04.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया के मध्य आपस में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चलाकर सुना गया तो

आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल का अफीम का पट्टा आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से जारी करवाने के लिए आज रिश्वत राशि 60,000रूपये लेकर आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर को देने हेतु साथ लेकर आने के लिए कहने की पुष्टि हुई है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 04.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री भेरूलाल के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री भेरूलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री नारायण मीणा मुखिया की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 06.11.2022 समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्म्द आमील खान के समक्ष अपने पास से 60,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 120 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 60,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री जुबेर खान से परिवादी श्री भेरूलाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री भेरूलाल के पहने हुए कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री भेरूलाल को सुपुर्द किया गया। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 06.11.2022 समय 11:45 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित

अफीम पट्टा केम्प की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री भेरूलाल को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 06.11.2022 समय 12:05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के सरकारी व प्राईवेट वाहन से पूर्व निर्धारित स्थान राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प के नजदीक पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री भेरूलाल को रूकवाकर समझाईश की गयी। बाद समझाईश परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व ट्रेप टीम के सरकारी व निजी वाहन में मौजूद रहकर ट्रेप जाल बिछाकर केम्प से कुछ दूरी पर परिवादी के वापस आकर ईशारे की प्रतीक्षा में मौजूद रहे। दिनांक 06.11.2022 समय 02:00 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल बिना कोई ईशारा किये राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि मैंने श्री नारायण लाल मुखिया को अफीम पट्टा बनाने के लिए आवेदन फार्म व एक हजार रूपये आवेदन शुल्क दे दिया है तथा श्री नारायण लाल मुखिया जी ने कहा है कि तुम्हारा अफीम का पट्टा बन गया है। मेरे पिछे पिछे आ जाओ वही चाय पानी पियेगें और मैं वहीं तुम्हारा पट्टा दे दूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुनः परिवादी को समझाईश कर रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी श्री भेरूलाल एक मोटर साईकिल पर बैठकर दो व्यक्ति रवाना होने पर उनके पिछे पिछे अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पिछे पिछे आने का ईशारा करने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय ट्रेप पार्टी के सरकारी व निजी वाहन से उनके पिछे पिछे रवाना हुआ। खण्डिया कॉलोनी स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर वाली गली के अन्दर में मोटर साईकिल पर बैठे दोनों व्यक्ति व परिवादी अपनी अपनी मोटर साईकिलों से अन्दर गली में चले गये। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनसे कुछ दूरी बनाकर सरकारी व निजी वाहन को कृष्णा मेडिकल स्टोर के सामने दूसरी तरफ रोड़ पर रोका तथा गली के आस पास ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। दिनांक 06.11.2022 समय 02:45 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को झालावाड़–खानपुर रोड़ की तरफ खण्डिया कॉलोनी में सड़क के नजदीक स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर के पास से गली में से आकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री भेरूलाल के पास पहुंचा तथा पूर्व में परिवादी को रिश्वत लेन–देन वार्तालाप करने के लिए सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री भेरूलाल से रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने व रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान गली में खड़ी मोटर साईकिल पर बैठे दो व्यक्तियों में से मोटर साईकिल पर पिछे बैठे हुए काली जेकिट व धोती कुर्ता पहने हुए अधेड़ उम्र के सांवले से व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि साहब यही मुखिया जी है, जिन्होने अभी–अभी मुझसे मेरे नाम का अफीम पट्टा (लाईसेंस) बनवाने की एवज में गिरदावर जी को देने के लिए 60,000रूपये की मांग कर प्राप्त कर गिनकर तथा मोटर साईकिल पर आगे बैठे व्यक्ति (चालक) से भी पुनः गिनवाकर अपनी पहनी हुई काले रंग की जेकिट की अन्दर की बायीं जेब में रख लिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोटर साईकिल पर पिछे बैठे व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 तथा बायां हाथ श्री शिवराज कानि0 166 को पकड़ने का निर्देश देकर मोटर साईकिल से नीचे उतरवाया तो मोटर साईकिल पर आगे बैठा व्यक्ति (मोटरसाईकिल का चालक) मौका पाकर घटनास्थल से मोटर साईकिल से अभी–अभी झालरापाटन की तरफ भाग गया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी गाड़ी से चालक श्री छोटूलाल कानि0 व स्वतंत्र गवाहान की मदद से पिछा कर संजीवनी हॉस्पिटल से पहले ही पकड़ लिया तथा उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान तथा बायां हाथ श्री मोहम्मद आमील खान से पकड़वाकर गाड़ी में बैठाकर घटनास्थल पर लौटकर वहां से अन्य आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया व जाब्ता को साथ लेकर रिश्वत राशि मांगने व लेनदेन में संलिप्त आरोपी गिरदावर के लिए राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प आया तथा जहां पर केम्प में केन्द्र प्रभारी अकलेरा की तख्ती के सामने टेबल कुर्सी पर कार्य कर रहे खाकी रंग की वर्दी जिसी नेम प्लेट पर पंकज मिश्रा लिखा हुआ था, उसके पास पहुंचा तथा आरोपी श्री पंकज मिश्रा उप निरीक्षक/गिरदावर को अपना परिचय दिया तथा वहां आने का प्रयोजन बताया एवं केम्प में उपस्थित जिला अफीम अधिकारी को रिश्वत मांग व लेनदेन में संलिप्ता की सूचना देकर रूपनगर झालावाड़ में स्थित जिला अफीम कार्यालय खुलवाने के लिए कहा गया तथा आरोपी श्री पंकज मिश्रा को अन्य आरोपियों के साथ अलग–अलग वाहनों में बैठाकर राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प से रवाना होकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु जिला अफीम कार्यालय, झालावाड़ आया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में परिवादी श्री भेरूलाल से आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर से ही दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होना उन्होने वर्दी में उसको पहचानकर बताया। तत्पश्चात् आरोपितों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको डिटेन करने का प्रयोजन बताया तथा अवगत कराया कि उनके विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की गयी है। इस पर तीनों ही आरोपीगण अत्यन्त घबरा गये, जिन्हे तसल्ली देकर, शांत कर, पानी पिलाकर, बैठाकर, नाम–पता पूछा

तो खाकी रंग की वर्दी पहने व पंकज मिश्रा की नेमप्लेट लगे व्यक्ति ने अपना नाम पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी लेन नम्बर 06 सरस्वती विहार देहरादून (उतराखण्ड) हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ (राज0) होना बताया तथा ट्रेप कार्यवाही के समय मोटर साईकिल पर पिछे बैठे आरोपी मुखिया ने अपना नाम नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (मुखिया/प्राईवेट व्यक्ति) तथा तीसरे आरोपी जो मोटर साईकिल से मौका पाकर भाग निकला था, उसने अपना नाम सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (प्राईवेट व्यक्ति) होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया से परिवादी श्री भेरूलाल से ली गयी रिश्वत राशि 60,000रूपये बाबत् पूछा गया तो उसने रूबरू गवाहान बताया कि मैं राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प में पट्टों की तारीख होने के कारण दिनांक 01.11.2022 को केम्प में आया था तथा वहां पर श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिला था तथा उनसे पूछा तो उन्होने बताया कि श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री घासीलाल तथा श्री बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल निवासी महुवा खेड़ा के भी अफीम पट्टा आये है। यह जानकारी मैंने गांव में जाकर श्री भेरूलाल के लड़के हंसराज तथा श्री बाबूलाल को दी थी। इस पर दिनांक 04.11.2022 को मेरे साथ गांव से श्री भेरूलाल व श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल जिला अफीम अधिकारी कार्यालय झालावाड़ आये थे। मैंने दोनों को जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के बाहर रूकने को कहा तथा कार्यालय के अन्दर जाकर श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिला तो उन्होने प्रति पट्टे के हिसाब से एक लाख रूपये की मांग की थी तथा जब मैंने उनसे कहा कि साहब किसानों की सोयाबीन की फसल बरबाद हो गयी है वह इतनी रकम नही दे सकते है। उनके द्वारा कोई जवाब नही देने पर मैं जिला अफीम कार्यालय के नीचे उतरकर बाहर खड़े श्री भेरूलाल व श्री सत्यनारायण के पास आ गया तथा यह बात मैंने दोनों को बतायी। फिर मुझसे दोनों ने कहा कि गिरदावर साहब से तुम एक बार दुबारा जाकर मिलो हम पच्चास–पच्चास हजार रूपये दे देगें। इस पर मैं पुनः कार्यालय के अन्दर जाकर श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिला था तब मैंने उनसे कहा कि वह पच्चास–पच्चास हजार रूपये प्रति पट्टे के हिसाब से देने की कह रहे है। इतनी रकम नही दे सकते है। इस पर गिरदावर जी ने कहा कि तुम बता दो कितने दे सकते है। इस पर मैंने कहा कि आप ही बता दो कितने कितने देने पड़ेगें। इस पर श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी ने कहा कि 60,000 हजार रूपये प्रति पट्टे के हिसाब से दिलवा देना। इस पर श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी ने अफीम पट्टा बनवाने के दो फार्म मुझे दे दिये तथा कहा कि दोनों फार्म भरवाकर 60–60 हजार रूपये लेकर परसों अर्थात 06.11.2022 को राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प पर आकर दोनों फार्म जमा करा देना। मैं पट्टा बनवाने के बाद श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी को दोनों पट्टो के 60–60 हजार रूपये जो श्री भेरूलाल व श्री सत्यनारायण ने दिये थे, उनसे मिलकर उनके बताने पर जहां भी कहते वहां पर जाकर आज ही देकर आता। परन्तु इस बीच में ही आप द्वारा हमें पकड़ लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सत्यनारायण से मोटर साईकिल को भगाकर ले जाने बाबत् पूछा गया कि वह मोटर साईकिल को मौके से श्री नारायण लाल को उतारने के बाद क्यों भगाकर ले गया तथा उसका रिश्वत लेन–देन से क्या सम्बंध है। इस पर आरोपी श्री सत्यनारायण ने बताया कि दिनांक 04.11.2022 को मैं भी श्री भेरूलाल जी के साथ मेरे पिताजी श्री बाबूलाल जी के नाम अफीम पट्टा बनवाने के लिए श्री नारायण लाल मुखिया के साथ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय झालावाड़ आया था। वहां पर श्री नारायण लाल मुखिया जी ने अफीम का पट्टा बनवाने के लिए श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से बात की थी तथा हमें पट्टा बनवाने का फार्म दिलवाया था तथा यह कहा था कि परसों 06.11.2022 को राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प में आ जाना। फार्म जमा हो जायेगा तथा 60,000रूपये देने पर उसी दिन अफीम पट्टा भी बन जायेगा। इस पर आज मैं श्री नारायण लाल मुखिया के साथ उनकी मोटर साईकिल पर बैठकर आया था। मैंने 60,000रूपये रिश्वत राशि श्री नारायण लाल मुखिया को दे दी थी तथा उन्होने मेरा फार्म भी जमा करा दिया था। मेरे पिताजी के नाम से अफीम पट्टा बन जाने की जानकारी श्री नारायण लाल जी मुखिया ने मुझे दी थी तथा कहा कि तुम्हारा पट्टा मेरा पास ही रखा है। श्री भेरूलाल जी ने मेरे पिछे मोटर साईकिल पर बैठे हुए श्री नारायण लाल जी मुखिया को 60,000रूपये दिये थे। इस पर श्री नारायण लाल जी मुखिया के कहने पर मैंने उनकी गिनती कर ली थी। जब आपकी पार्टी ने मोटर साईकिल से नीचे उतारकर श्री नारायण लाल मुखिया को पकड़ लिया तो मुझे भी पकड़ने के डर की वजह से मैं मोटर साईकिल लेकर भाग गया था। मुझसे 60,000रूपये रिश्वत राशि मांगने की मैंने आपके कार्यालय में शिकायत नही दी थी। गलती हो गयी मुझे माफ करें। तत्पश्चात् आरोपी श्री पंकज मिश्रा उप निरीक्षक/गिरदावर से पूछा गया कि क्या श्री नारायण लाल मुखिया दिनांक 04.11.2022 को श्री भेरूलाल व श्री बाबूलाल निवासी महुवा खेड़ा के अफीम पट्टे जारी कराने के सम्बंध में मिला था तथा उनके द्वारा अफीम पट्टा जारी करने सम्बंधी दो आवेदन पत्र उनको सुपुर्द किये थे। इस पर आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक /गिरदावर ने बताया कि यह सही है कि दिनांक 04.11.2022 को श्री नारायण लाल मुखिया मेरे पास जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में श्री भेरूलाल व श्री बाबूलाल के नाम से अफीम पट्टा बनवाने के

लिए आया था तथा उसको मैंने दो आवेदन पत्र दिये थे। यह भी सही है कि ग्राम महुवा खेड़ा के श्री नारायण लाल की सास श्रीमती कंचन बाई मुखिया है। श्री नारायण लाल मुखिया नही है। आरोपी श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से दिनांक 04.11.2022 को श्री नारायण लाल मुखिया से श्री भेरूलाल व श्री बाबूलाल के नाम से अफीम पट्टा बनवाने के एवज में श्री नारायण लाल के मार्फत प्रति पट्टा एक–एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करने तथा उनके द्वारा अनुरोध करने पर 60–60 हजार रूपये प्रति पट्टा दिनांक 06.11.2022 को अफीम पट्टा आवेदन पत्र पूर्ण कर साथ लेकर आने सम्बंधी श्री नारायण लाल मुखिया द्वारा दिये गये वर्जन का स्पष्टीकरण चाहा गया तो उन्होने बताया कि मैंने श्री नारायण लाल मुखिया से पट्टा जारी करने की एवज में कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है। इसका आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया ने जोरदार खण्डन करते हुए बताया कि श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी झूठ बोल रहे है। इन्होने मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर 60–60 हजार रूपये प्रति पट्टा रिश्वत राशि की मांग की थी जो 1,20,000रूपये आपने मुझसे बरामद किये हैं वह राशि मैं आज ही इनको इनके बताये अनुसार जगह पर दे देता। मेरा इसमें कोई कमीशन नही है। यह सारी राशि मैंने श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी द्वारा पट्टा जारी करने की एवज में इनके द्वारा मांगने पर दोनों पट्टो के लिए ली है। आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर से पूछा गया कि दिनांक 02.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल निवासी महुवा खेड़ा अपने नाम से अफीम का पट्टा बनवाने हेतु आपसे राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प पर मिला था अथवा नहीं? इस पर आरोपी श्री पंकज मिश्रा ने कहा कि मुझे याद नही है कि श्री भेरूलाल निवासी महुवा खेड़ा मुझसे मिले थे या नही। या मैंने मुझसे पट्टा बनवाने के लिए मिलने पर मुखिया से बात करने तथा 04.11.2022 को मुखिया को लेकर सुबह–सुबह आ जाने के लिए कहा हो। इसका परिवादी श्री भेरूलाल ने खण्डन करते हुए बताया कि श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी झूंठ बोल रहे है। मेरे द्वारा अफीम का पट्टा बनवाने की एवज में दिनांक 02.11.2022 को श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी द्वारा श्री नारायण लाल मुखिया के मार्फत एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करने पर आपके कार्यालय में मैंने शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर आप द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर मुझे श्री देवदान सिंह कानि0 के साथ भिजवाया था। मैंने मेरा अफीम का पट्टा बनवाने के सम्बंध में श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से वार्तालाप की थी जिसको मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। अगर यह कह रहे है कि दिनांक 02.11.2022 को मैं इनसे नही मिला तो यह बिल्कुल झूंठ बोल रहे है। इन्होने मुझे कहा था कि तुम्हारा पट्टा बनवाना है तो परसों 04.11.2022 को मुखिया जी को लेकर सुबह–सुबह आ जाना। इस पर मैं व श्री सत्यनारायण मुखिया श्री नारायण लाल के साथ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय गये थे। जहां श्री नारायण लाल मुखिया ने श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से 60–60 हजार रूपये में पट्टा बनाने की फाईनल करने के बाद हमें दो फार्म दिये थे और कहा था कि फार्म को भरकर 60–60 हजार रूपये लेकर परसों दिनांक 06.11.2022 को आ जाना। इस पर आज श्री नारायण लाल मुखिया द्वारा मुझसे खण्डिया कॉलोनी में बुलाकर 60,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। उसके बाद मुझे श्री नारायण लाल मुखिया द्वारा मेरा पट्टा दे दिया है। आरोपी श्री सत्यनारायण के पिता श्री बाबूलाल के नाम से बना हुआ पट्टा आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया से लेकर कार्यवाही के दौरान ही परिवादी श्री भेरूलाल को सुपुर्द कर निर्देश दिये की आरोपी श्री सत्यनारायण के पिता श्री बाबूलाल को गांव जाकर अफीम पट्टा देवें। फिर आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एनआरएच–1, एनआरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एनएलएच–1, एनएलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् अन्य आरोपी श्री सत्यनारायण के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी श्री सत्यनारायण के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एसआरएच–1, एसआरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी आरोपी श्री सत्यनारायण के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एसएलएच–1, एसएलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। चूंकि आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर द्वारा सीधे

तौर पर रिश्वत राशि नही ली गयी है। अतः उसके दोनों हाथों की धुलाई नही करायी गयी है। फिर गवाह श्री जुबेर खान को आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया की पहनी हुई काले रंग की जेकिट की अन्दर की बांयी जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा जेब की तलाशी में 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई पेश की। जिनकी गिनती करने पर 500–500रूपये के 120 नोट कुल राशि 60,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद आमील खान को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलाने करने पर दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के हुबहु रिश्वत राशि वाले 500–500रूपये के 120 नोट कुल 60,000रूपये होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार हैः–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2PK 124853
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1WF 760403
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8VF 033498
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4EG 226222
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0RL 720375
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2VW 796331
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3PA 538324
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0AW 439107
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0TE 658647
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9BS 808173
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VV 998800
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8DW 727682
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5BL 790400
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5RS 128626
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1PK 881181
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4LA 936686
17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QQ 984609
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0HG 241113
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2ES 137354
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160303
21	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160304
22	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160305
23	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160306
24	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160307
25	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160308
26	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160309
27	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160310
28	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KV 160311
29	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9DV 053542
30	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4ND 969022
31	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 363860
32	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 363861
33	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7QP 201605
34	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2ER 546977
35	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5UK 759333
36	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8CN 469221
37	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0AF 895956
38	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4PU 356716
39	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 378921
40	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 378923
41	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 378924
42	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 378925
43	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DS 378926

44	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378911
45	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378912
46	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378913
47	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378914
48	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378915
49	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378916
50	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3DS 378922
51	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5FW 737424
52	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5FU 873995
53	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6NG 419850
54	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9PG 520664
55	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1FM 670075
56	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2CN 078672
57	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8SW 444467
58	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3BV 056488
59	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4GW 826198
60	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2BR 629867
61	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169801
62	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169802
63	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169803
64	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169804
65	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169805
66	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169806
67	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169807
68	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169808
69	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169809
70	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169810
71	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169811
72	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169812
73	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169813
74	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169814
75	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169815
76	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169816
77	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169817
78	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169818
79	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169819
80	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169820
81	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169821
82	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169822
83	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169823
84	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169824
85	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169825
86	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169826
87	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169827
88	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169828
89	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169829
90	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169830
91	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169831
92	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169832
93	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MG 169833

94	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169834
95	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169835
96	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169836
97	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169837
98	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169838
99	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169839
100	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169840
101	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169841
102	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169842
103	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169843
104	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169844
105	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169845
106	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169846
107	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169787
108	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169788
109	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169789
110	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169790
111	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169791
112	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169792
113	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169793
114	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169794
115	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169795
116	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169796
117	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169797
118	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169798
119	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169799
120	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MG 169800

उक्त बरामद नोटों को कागज मे मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त रिश्वत राशि के बरामद नोटों के अलावा आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया की पहनी हुई सूती कपड़े की सीली हुई बनियान की सामने वाली जेब की तलाशी में 500–500रूपये के कुल 120 नोट अर्थात 60,000रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया ने बताया कि यह रिश्वत राशि श्री सत्यनारायण द्वारा उसके पिताजी श्री बाबूलाल जी के नाम अफीम पट्टा बनवाने के लिए मुझे दी है। इस राशि को भी मैं श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी को ही जाकर देता। इस प्रकार 60,000रूपये राशि को संदिग्ध मानते हुए ब्यूरो द्वारा जब्त किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया की काले रंग की जेकिट को खुलवाकर उसके अन्दर की बांयी जेब को उलटवाकर धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी की पहनी हुई जेकिट की अन्दर की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का एनजे–1, एनजे–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। जेकिट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा जब्त शुदा जेकिट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–जे अंकित किया गया। परिवादी श्री भेरूलाल व श्री बाबूलाल द्वारा अफीम पट्टा (लाईसेंस) द्वारा किये गये आवेदन पत्र तथा जारी किये गये अफीम पट्टा (लाईसेंस) की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.11.2022 समय 05:30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया व श्री सत्यनारायण प्राईवेट व्यक्ति को साथ लेकर मय सरकारी वाहन चालक के खण्डिया कॉलोनी स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर गली झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा आरोपी श्री पंकज मिश्रा व अन्य ब्यूरो स्टॉफ को जिला अफीम कार्यालय, झालावाड़ में ही छोड़ा गया। दिनांक 06.11.2022 समय 06:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भेरूलाल के बताये अनुसार

घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् सम्बंधितों को हमराह लेकर घटनास्थल से पुनः जिला अफीम कार्यालय, झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 06.11.2022 समय 06:40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के घटनास्थल से रवाना शुदा जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। आरोपी श्री पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी लेन नम्बर 06 सरस्वती विहार देहरादून (उतराखण्ड) हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जुबेर खान से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार जिला अफीम अधिकारी, झालावाड़ श्री अनन्त प्रसाद चौधरी को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.11.2022 समय 06:55 पीएम पर आरोपी श्री नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (मुखिया/प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जुबेर खान से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिचित श्री धनराज को जरिये मोबाईल 9887065467 पर दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.11.2022 समय 07:10 पीएम पर आरोपी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जुबेर खान से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिचित श्री धनराज को जरिये मोबाईल 9887065467 पर दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.11.2022 समय 07:25 पीएम पर आरोपी श्री पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी लेन नम्बर 06 सरस्वती विहार देहरादून (उतराखण्ड) हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान के समक्ष, दिनांक 02.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प में रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री पंकज मिश्रा ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.11.2022 समय 07:40 पीएम पर आरोपी श्री नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (मुखिया/प्राईवेट व्यक्ति) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान के समक्ष, दिनांक 04.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा जिला अफीम कार्यालय रूपनगर झालावाड़ के बाहर रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा उसको एसीबी द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.11.2022 समय 07:50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री भेरूलाल, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 60,000रूपये व बरामद शुदा संदिग्ध राशि 60,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल एनआरएच-1, एनआरएच-2, एनएलएच-1, एनएलएच-2, एसआरएच-1, एसआरएच-2, एसएलएच-1, एसएलएच-2,एनजे-1, एनजे-2, व जेकिट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क-जे तथा दोनों आरोपियों के जब्त शुदा मोबाईल आदि साथ लेकर मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर के किराये के मकान नम्बर-96 रूपनगर कॉलोनी, झालावाड़ की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। दिनांक 06.11.2022 समय 08:00 पीएम पर आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर के किराये के मकान नम्बर-96 रूपनगर कॉलोनी, झालावाड़ पहुंचकर आरोपी पंकज मिश्रा से मकान में लगा हुआ ताला खुलवाकर उसके पिछे पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता द्वारा प्रवेश कर आरोपी के किराये के मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली गयी तो खाना तलाशी के दौरान आरोपी के किराये के मकान में घरेलू उपयोग के सामान इत्यादी मिले कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु आदि जब्त की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द

खाना तलाशी मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गया। दिनांक 06.11.2022 समय 08:20 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री भेरूलाल, दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री पंकज मिश्रा, श्री नारायण लाल, श्री सत्यनारायण को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 60,000रूपये व बरामद शुदा 60,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल एनआरएच–1, एनआरएच–2, एनएलएच–1, एनएलएच–2, एसआरएच–1, एसआरएच–2, एसएलएच–1, एसएलएच–2,एनजे–1, एनजे–2, व जेकिट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क–जे तथा दोनों आरोपियों के जब्त शुदा मोबाईल आदि साथ लेकर मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 06.11.2022 समय 08:40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपीगणएवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि व बरामबद राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 06.11.2022 समय 09:00 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री भेरूलाल को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री भेरूलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया व दूसरी आवाज आरोपी श्री सत्यनारायण व एक अन्य आवाज श्री हेमा नाम के व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 06.11.2022 समय 10:00 पीएम पर दिनांक 02.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री पंकज मिश्रा के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम दिनांक 06.11.2022 को समय 08.30 एएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 04.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता– द्वितीय दिनांक 06.11.2022 को समय 09.00 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 06.11.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री भेरूलाल व आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया व आरोपी श्री सत्यनारायण व अन्य व्यक्ति श्री हेमा के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 06.11.2022 को समय 09.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त तीनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर छः सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर के लिये, एक सीडी आरोपी नारायण लाल मुखिया के लिए, एक सीडी आरोपी श्री सत्यनारायण के लिए, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.11.2022 समय 10:20 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री पंकज मिश्रा, श्री नारायण लाल व श्री सत्यनारायण को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 के साथ सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना किया गया तथा परिवादी श्री भेरूलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री मोहम्मद आमील खान को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 06.11.2022 समय 11:00 पीएम पर आरोपीगणों श्री पंकज मिश्रा, श्री नारायण लाल व श्री सत्यनारायण को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री घांसीलाल जाति मीणा उम्र 56 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा (देवरी कलां) थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया व दरियाफ्त पर बताया कि उसके नाम से ग्राम महुवा खेड़ा के माल में खसरा नम्बर 301 व 302 में कृषि भूमि स्थित है। उसको इस भूमि में ही वर्ष 2016 में अफीम विभाग द्वारा अफीम की खेती करने के लिए 10 आरी का पट्टा(लाईसेंस) जारी हुआ था परन्तु औसत से कम अफीम निकलने पर वर्ष 2017 में अफीम विभाग द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया था। उसके गांव महुवा खेड़ा के श्री नारायण पुत्र श्री प्रभुलाल मीणा की सास श्रीमती कंचन बाई के नाम से भी अफीम की खेती करने का पट्टा है परन्तु उसकी जगह श्री नारायण मीणा ही उनके गांव के अफीम काश्तकारों के मुखिया का काम करता है। श्री नारायण मीणा

का जिला अफीम कार्यालय, रूपनगर झालावाड़ में अधिकारियों से काश्तकारों को अफीम का पट्टा दिलवाने हेतु मिलने के लिए आना–जाता रहता है। इस साल अफीम की खेती करने के काश्तकारों की लिस्ट में मेरा भी नाम होने की जानकारी श्री नारायण मीणा मुखिया द्वारा मिलने पर मैं श्री नारायण मीणा मुखिया के कहने पर जिला अफीम अधिकारी कार्यालय, झालावाड़ जाकर वहां पर तैनात श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से मिला तो उन्होने अफीम का पट्टा दिलवाने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा उन्होने कहा था कि तुम तुम्हारे गांव के मुखिया श्री नारायण मीणा से मिल लेना, तुम्हारा अफीम की काश्त का पट्टा बनवा देगा। इस पर मैंने श्री पंकज मिश्रा गिरदावर से अफीम की काश्त का पट्टा (लाईसेंस) बनवाने हेतु फार्म देने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि पहले मुखिया श्री नारायण मीणा से मिल लो वह सब व्यवस्था करवा देगा। इस पर मैं झालावाड़ से अपने गांव जाकर मुखिया श्री नारायण मीणा से उसके घर पर मिला तो श्री नारायण मीणा ने भी कहा कि पहले एक लाख रूपये की व्यवस्था कर लो उसके बाद श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जी से मिल लेगें तुम्हारा काम हो जायेगा फार्म की तुम चिन्ता मत करो। मैं तुम्हारा पट्टा बनवाने का सारा काम करवा दूंगा। श्री पंकज मिश्रा गिरदावर जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ अपने दलाल श्री नारायण मीणा मुखिया ग्राम महुवा खेड़ा के मार्फत अफीम काश्तकारों के लिए पट्टा (लाईसेंस) दिलवाने के लिए रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने वाले अफीम अधिकारियों तक रिश्वत राशि पहुंचाते है। मैं मेरी कब्जा काश्त की भूमि में सरकार द्वारा अफीम की खेती करने के लिए पट्टा (लाईसेंस) जारी कराने के जायज काम के लिए श्री पंकज मिश्रा गिरदावर व श्री नारायण मीणा मुखिया को रिश्वत राशि के एक लाख रूपये नहीं देना चाहता हूँ तथा दोनों को ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7,7ए व 120बी आईपीसी की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन दिनांक 02.11.2022 व दिनांक 04.11.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि हुई तथा आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर जिला अफीम कार्यालाय झालावाड़ द्वारा श्री नारायण लाल मुखिया से बात करने व उसको साथ लेकर आने के लिए कहा। इस पर दिनांक 04.11.2022 को परिवादी श्री भेरूलाल श्री नारायण लाल मुखिया मिला इस पर परिवादी श्री भेरूलाल के नाम अफीम का पट्टा बनवाने की एवज में आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर द्वारा श्री नारायण लाल मुखिया के मार्फत एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 60,000रूपये रिश्वत राशि देने पर सहमति देने के लिए आरोपी मुखिया द्वारा परिवादी को बताना। इस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 60,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 06.11.2022 को कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। पूर्व में हुई वार्तानुसार परिवादी श्री भेरूलाल को आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया के पास राधारमण मन्दिर परिसर, झालावाड़ स्थित अफीम पट्टा केम्प भिजवाया गया। आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल से उसके अफीम काश्त का पट्टा (लाईसेंस) बनवाने की एवज में आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर के लिए रिश्वत राशि के 60,000रूपये की मांग कर प्राप्त कर गिनकर उसके साथ आये अन्य व्यक्ति श्री सत्यनारायण से भी गिनवाकर अपनी पहनी हुई काले रंग की जेकिट के अन्दर की बायीं जेब में रखना, जहां से ट्रेप पार्टी द्वारा रिश्वत राशि बरामद करना। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री सत्यनारायण प्राईवेट व्यक्ति द्वारा भी अपने पिता श्री बाबूलाल के नाम से आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया को पट्टा (लाईसेंस) बनवाने के लिए आरोपी श्री पंकज मिश्रा उपनिरीक्षक/गिरदावर के लिए रिश्वत राशि के दिये गये 60,000रूपये भी श्री नारायण लाल मुखिया की पहनी हुई सफेद रंग की बनियान के सामने वाली जेब से बरामद होना। इस प्रकार रिश्वत राशि के 60,000रूपये के अतिरिक्त अन्य 60,000रूपये कुल 1,20,000रूपये आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया से ट्रेप पार्टी द्वारा बरामद किये गये। आरोपीगण के उक्त कृत्य पर आरोपी श्री नारायण लाल मुखिया व श्री सत्यनारायण प्राईवेट व्यक्ति के हाथों का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाब प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपिगणों को उनकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिये गये, जिसके प्रतिउत्तर में आरोपिगणों द्वारा स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में देना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम व द्वितीय तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता ट्रांसक्रिप्ट आदि से आरोपीगणों के उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी लेन नम्बर 06 सरस्वती विहार देहरादून (उतराखण्ड) हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ (राज0), श्री नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति मीणा, उम्र 60 साल, निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर, थाना घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) (मुखिया/प्राईवेट व्यक्ति) तथा श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध

जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री पंकज मिश्रा पुत्र श्री सूरज मिश्रा, उप निरीक्षक (गिरदावर)रेंज अकलेरा व पचपहाड़, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़, 2. श्री नारायण लाल पुत्र श्री प्रभुलाल (मुखिया/प्राईवट व्यक्ति) निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ एवं 3. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल(प्राईवेट व्यक्ति) निवासी महुवा खेड़ा, महुवा खेर थाना घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 436/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3784-88 दिनांक 7.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

7/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।